



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग**

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :- २२३४/१० खल.ख.

दिनांक :- २३/०७/२०१६

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- कोटी बैंड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण कार्य में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक ४५/१२-१ दिनांक गोपेश्वर, ०४ जुलाई २०१६।

महोदय,

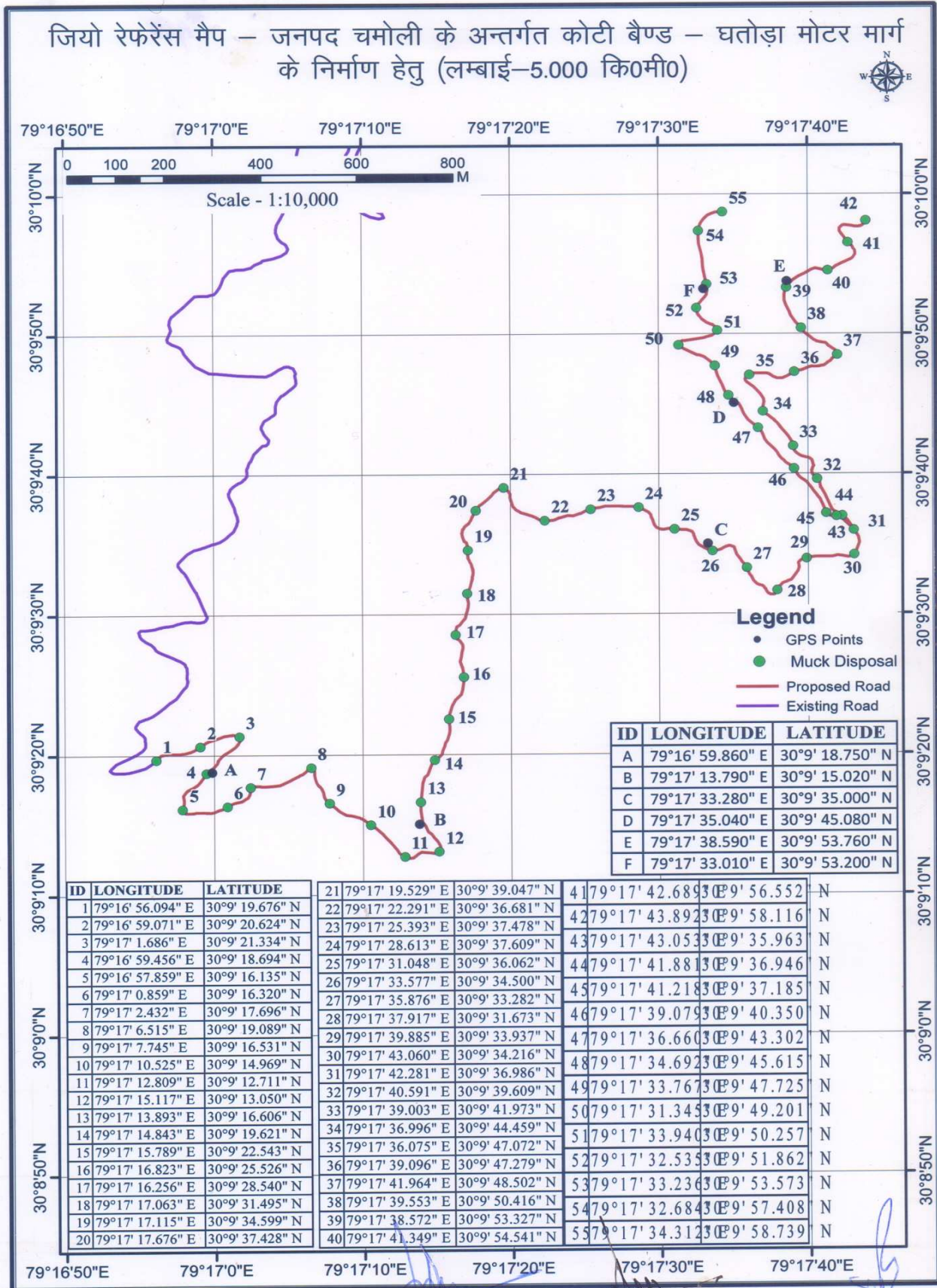
उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Total period for which the land proposed to be diverted is not mentioned in online Part-I.	पार्ट-। के क्रम संख्या A-1 (x) में Total period of forest land 99 Year mention कर दिया गया है।
2	Component wise break up is not provided in online Part-I. The component wise break up should mention the area wise detail of each component like road, bridge, muck Disposal etc. The State Govt may provide the same in online Part-I.	उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मक डिस्पोजल नापभूमि में किया जा रहा है। अतः Component wise breakup में सिर्फ Road Construction हेतु हस्तान्तरित भूमि १.०९९ हे. को लिया गया है। मक डिस्पोजल हेतु भूमि हस्तान्तरित नहीं की जानी है।
3	The copy of GIS software generated geo referenced digital map is without showing geo-coordinates while geo-coordinates should be at 200 to 300 m interval along the alignment of the proposed road including all turning points. The revised map may uploaded showing digitally marked geo-coordinates on the map placed in the designated column in online Part-I.	वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates regular interval 200m to 300m में दर्शाते हुये पार्ट-। के क्रम संख्या C (iv) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-१ पेज ३)
4	The digital map of area proposed for CA is provided with only four geo-coordinates shows on google map which does not serve the purpose. May provide/upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates All corner points में दर्शाते हुये पार्ट-। के क्रम संख्या L (v) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-२ पेज ४)
5	The number of villages to be benefited by this road is three while as per the detail in village wise break up in online Part-I only one village is mentioned. The state Govt may explain that how the other villages are benefited while the road proposed is passing through the boundary of only one village. If required change the details in village wise break up in online Part-I accordingly.	पार्ट-। के क्रम संख्या B-2.3 में Village wise break up Mention कर तीनों गांव दर्शा दिये गये हैं। प्रस्तावित मार्ग के प्रारम्भ बिन्दु में ग्राम कोटी, किमी. ३ में ऋषिवाणी (घतोड़ा), किमी. ४ में ग्राम त्रिकोट एवं किमी. ५ में ग्राम घतोड़ा मार्ग से लाभान्वित होंगे। भविष्य में उक्त मोटर मार्ग का विस्तार होने पर किमी. ९ व १० में ग्राम बमियाला, गबनी मल्ला, कफोली व कण्डवाल गांव लाभान्वित होंगे।

6	If this project involve boundary of other villages as mentioned in the list of villages to be benefited then proceedings of village level committee meetings pertaining to these villages may also be furnished with the FRA certificate.	उक्त वनभूमि प्रस्ताव में ग्राम कोटी व घतोड़ा की भूमि आ रही है। उक्त भूमि अधिग्रहण हेतु दिनांक 06.01.2015 को ग्राम कोटी व घतोड़ा ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई जिसमें कि ज्येष्ठ उप प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, कर्णप्रयाग (चमोली) भी उपस्थित थे। चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोड़ा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जो village level committee FRA में under line कर संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3 पेज 5 से 6)
---	--	---

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न :- प्रपत्र।

(जे.पी.रतूड़ी)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



मार्ग
J.E

सहायक अभियन्ता
प्रारंभिक/अंतिम नि० वि०
कर्णप्रयाग

अभियन्ता अभियन्ता
प्रारंभिक/अंतिम नि० वि०
कर्णप्रयाग [चमोली]

प्रभागीय वन्याधिकारी
ब्रह्मनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

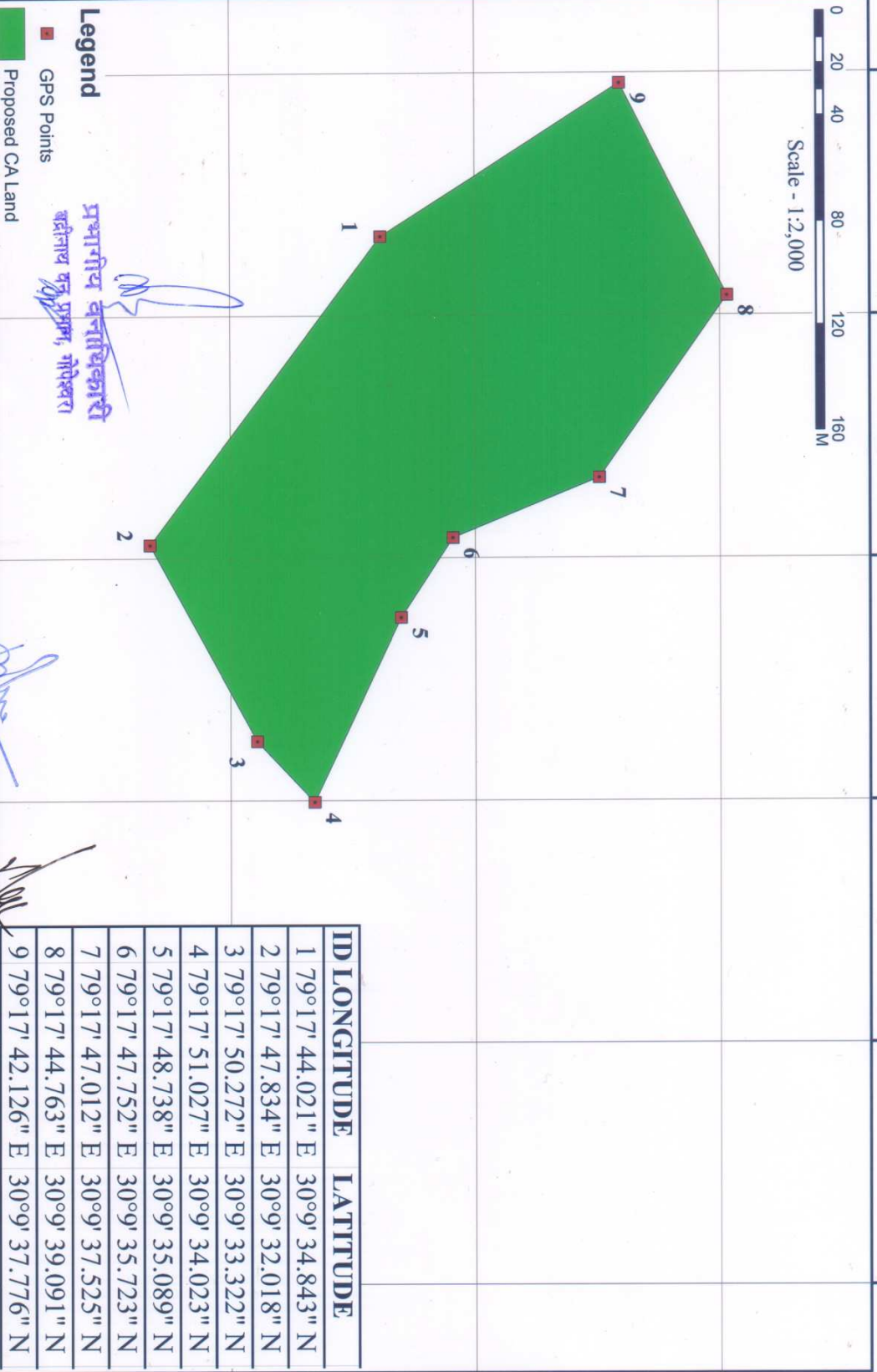
जियो रेफरेंस मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड – घातोड़ा मोटर मार्ग
के निर्माण हेतु (लम्बाई-5.000 कि०मी०) प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल



Scale - 1:2,000
0 20 40 80 120 160 M

Legend
■ GPS Points
■ Proposed CA Land

प्रधानीय वनधिकारी
बद्रीनाथ शर्मा, गोपेखरा



ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79°17' 44.021" E	30°9' 34.843" N
2	79°17' 47.834" E	30°9' 32.018" N
3	79°17' 50.272" E	30°9' 33.322" N
4	79°17' 51.027" E	30°9' 34.023" N
5	79°17' 48.738" E	30°9' 35.089" N
6	79°17' 47.752" E	30°9' 35.723" N
7	79°17' 47.012" E	30°9' 37.525" N
8	79°17' 44.763" E	30°9' 39.091" N
9	79°17' 42.126" E	30°9' 37.776" N

56

कार्यालय,

चमोली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- घतोडा,

तहसील - कर्णप्रयाग, जिला.- चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.378 हे. सिविल सोयम भूमि 0.616 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात् कुल 1.099 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतघतोडा... द्वारा दिनांक06/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोडा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



Handwritten signature
उपस्थित ग्राम प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./-

ग्राम सचिव,

ग्राम प्रधान- घतोडा,

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 06/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - घतोडा,

क्रमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

1:- सर्व. श्री रघुबीर सिंह कोटिवाल

2:- " प्रताप सिंह नेगी

3:- " नन्दन सिंह कोटिवाल

4:- " अवल सिंह नेगी

5:- " प्रेम सिंह पवार

6) महिपाल सिंह पवार

7) दिगम्बर सिंह नेगी

8) कुबक सिंह पवार

9) धीरेन्द्र सिंह पवार

10) कुलदीप सिंह नेगी

11) लक्ष्मी देवी

12) लक्ष्मी देवी

Ramji

नन्दन सिंह

अवल सिंह

प्रेम सिंह

महिपाल सिंह

दिगम्बर सिंह

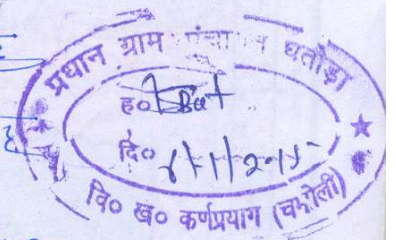
कुबक सिंह

धीरेन्द्र सिंह

कुलदीप सिंह

लक्ष्मी देवी

लक्ष्मी देवी



ज्येष्ठ उप प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)